



सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2012-13/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of revision of pensionary benefits of ex-members of
Legislative Assembly of Madhya Pradesh.
Ref:- 1. Special Seal Authority No PR1/Genl/MLA/1227 dt 16.08.2012 of the
Accountant General (A&E) II Madhya Pradesh, Gwalior.

I am herewith enclosing a special seal authority received from the
Accountant General, (A&E) II, Madhya Pradesh, Gwalior in the reference cited. The
same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are
requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and
take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय
मध्य प्रदेश ग्वालियर

कमांक पी.आर.1/सामान्य/एम.एल.ए./1145 से 1194
1195 से 1228

1227

दिनांक 16.06.2012

प्रति,

कोषालय अधिकारी

म० प्र०

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

✓ Accountant General (A & E)

Andhra Pradesh

Hydrabad (A.P.)

विषय: माननीय भूतपूर्व म० प्र० विधान सभा सदस्यों को पुनरीक्षित दर से पेंशन/परिवार पेंशन एवं चिकित्सा भत्ता के भुगतान हेतु।

संदर्भ:-म० प्र० विधानसभा सचिवालय भोपाल के आदेश कमांक 488/वि.स./स.ले./2012

दिनांक 07.06.2012

महोदय,

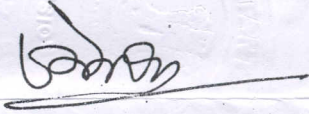
उपरोक्त विषयान्तर्गत म० प्र० राजपत्र (असाधारण)/224-204 दिनांक 05.05.2012 में प्रकाशित म० प्र० विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन अधिनियम 2012 के अनुसार म० प्र० विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों की न्यूनतम पेंशन में रुपये 8000/-प्र० मा० परिवार पेंशन में रुपये 5000/-प्र० मा० एवं चिकित्सा भत्ता में रुपये 5000/-की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही बस यात्रा भत्ता रुपये 500/-के स्थान पर रुपये 1000/-प्र० मा० देय है। भूतपूर्व सदस्यों को उसकी पात्रता अनुसार पुनरीक्षित पेंशन, चिकित्सा भत्ता एवं बस यात्रा भत्ता तथा परिवार पेंशन दिनांक 05.05.2012 से प्रभावशील होगी। अतः दिनांक 05.05.2012 से न्यूनतम पेंशन रुपये 7000/- के स्थान पर रुपये 15000/-प्र० मा० देय है एवं प्रत्येक पांच वर्ष के ऊपर अतिरिक्त वर्ष की सेवा के लिये रुपये 300/-के स्थान पर रुपये 500/-प्र० मा० देय है। चिकित्सा भत्ता वर्तमान दर रुपये 5000/-के स्थान पर रुपये 10,000/-प्र० मा० देय है। परिवार पेंशन रुपये 5000/-के स्थान पर रुपये 10,000/-प्र० मा० की पात्रता है। अधिनियम के अनुसार पेंशन की पुनरीक्षित दर निम्नानुसार देय होगी।

वर्तमान पेंशन दर प्रतिमाह रू.

दिनांक 05.05.2012 से पुनरीक्षित पेंशन दर पर रू.

7000	15000
7300	15500
7600	16000
7900	16500
8200	17000
8500	17500
8800	18000
9100	18500
9400	19000
9700	19500
10,000	20000
10,300	20500

उपरोक्तानुसार सभी भूतपूर्व विधायको को पुनरीक्षित पेंशन/चिकित्सा भत्ता एवं परिवार पेंशन का भुगतान अविलंब सुनिश्चित करें। इसके साथ ही बस यात्रा भत्ता रुपये 500/-के स्थान पर रुपये 1000/-प्र0 मा0 का भुगतान भी सुनिश्चित करे। उक्त अधिनियम की प्रति को वेबसाईट WWW.govt pressmp.nic in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।

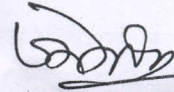


लेखा अधिकारी/पी0 आर0 1

क्रमांक पी.आर.1/रि-1/1229-1230
प्रतिलिपि:-

दिनांक .08.2012

- (1) उप सचिव म0 प्र0 विधान सभा सचिवालय, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 488 वि.स. /स.ले./2012 दिनांक 07.06.2012 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
- (2) संचालक कोष एवं लेखा म0 प्र0 भोपाल को सूचनार्थ।



लेखा अधिकारी/पी0 आर0 1